समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2017/3800

1.औकार प्रसाद आत्मज श्री नर्वदाप्रसाद रघुवंशी
2.हृदयराम आत्मज श्री धनीराम निवासीगण ग्राम खिरेही तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र.

.............आवेदकगण

विरूद्ध

महेन्द्र सिंह आत्मज सुदंरलाल रघुवंशी निवासी बेरखेडी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. ।

...........अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज 11-10-17 प्रस्तुत
11-10-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 12-10-17

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत पारित रा.नि.म. कोडा जमुनिया टप्पा देवरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन के प्रकरण क 29/नोटिस /2017 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2017 के विरूद्ध।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 3800 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–11–2017	निगरानी प्रकरण कमाक 4406–पीबीआर / 2016 में पारित आदेश दिनांक 7–11–17 से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 250 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । जहाँ अब आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः वह उन्हें जारी सूचना पत्र का जबाव तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें । इस निगरानी को प्रचलित रखने का औचित्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। अध्यक्ष	